विभाग के लिए सेवाओं की जानकारी वेबसाइट डालना जरूरीः सचिव

- हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का निर्देश

चंडीगढ़। सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा मुहैया करवाई जा रही ऐसी सेवाओं, जो सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित हैं और जिनके लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है, की जानकारी जनसाधारण को देने के मकसद से संबंधित विभाग के सचिव द्वारा इन्हें स्थानीय स्तर पर प्रदर्शित करने के साथ-साथ विभाग की वेबसाइट पर भी डालना जरूरी होगा। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग की सचिव सुश्री मीनाक्षी राज ने बताया कि आयोग के मुख्य आयुक्त के अनुमोदन से विभिन्न विभागों को एक पत्र भेजा गया है जिसमें उनसे जुड़ी सभी अधिसूचित सेवाओं, उनकी समय-सीमा, आवेदन-पत्र और सेवाएं प्राप्त करने के लिए जरूरी दस्तावेजों को स्पष्ट तौर पर परिभाषित करने तथा अधिसूचित सेवाओं से जुड़ी सभी तरह की जानकारी को उनकी वेबसाइट पर डालने के लिए कहा गया है। उन्हें इसकी एक प्रति एमएस-वर्ड फॉरमेट में 31 जुलाई, 2021 तक आयोग की वेबसाइट **rtsc-hry@gov.in** पर भी भेजनी होगी।